आदेश

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

14.9.20 पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उप०। बहस पर विचार किया गया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। वादी० का कथन है, कि वादीगण की ग्राम कुदायला में खाता नम्बर 20, 22 किता 2 रकबा 0.51 हेक्टर भूमि स्थित रही है प्रति० नं. 1 द्वारा एक फर्जी व बनावटी विक्रयपत्र के आधार पर नामान्तरकरण नम्बर 267 दि. 13.6.11 स्वीकृत करवा लिया। उक्त इन्तकाल को माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त द्वारा अपने निर्णय दि० 30.4.15 से खारिज कर दिया है।

वाकयात उक्त भूमि पर वादीगण का अनवरत कब्जा चला आ रहा है, किन्तु

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

ारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

राजस्व अभिलेख में कृषि भूमि दर्ज होते हुये भी प्रति० उक्त भूमि पर जोर जार कर बेचने पर आमादा ~~है~~ प्रतिवादी का उक्त भूमि पर किसी प्रकार के स्वत्व प्राप्त नहीं है, फिर भी वह उक्त भूमि को विक्रय करने पर आमादा है। यदि प्रतिवादी अपने मकसद में कामयाब हो गया तो इससे वादीगण को अपरिमित क्षति होगी।

अन्य कथन कर वादीगण द्वारा अनुतोष चाहा, कि वादीगण के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की डिक्री प्रदान की जाये कि, प्रतिवादी ग्राम कुदायला की भूमि खसरा नम्बर 20 रकबा 0.29 हे०, 22 रकबा 0.22 हे० पर वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार हस्तक्षेप नहीं करे। भूमि पर जबरन भूखण्ड कायम नहीं करे। वादीगण को शांतिपूर्वक काश्त करने दे। उक्त कार्य प्रति० न तो स्वयं करे, और न अपने प्रतिनिधि से करावे आदि आदि।

वाद वादीगण प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की तरफ से जरिये विद्वान अधिवक्ता श्री शाहनवाज अहमद खान वकालतनामा एवं जवाब पेश किया। जवाब की प्रति विद्वान अधिवक्ता वादीगण को दी जाकर जवाब शा० मिसल किया गया।

वादीगण के वादपत्र, वर्णित तथ्य, वांछित अनुतोष, प्रतिवादी के जवाब के तथ्य एवं उक्त जवाब में वांछित अनुतोष के आधार पर प्रकरण में निम्न विवाद्यक बिन्दु कायम -

किये गये।

तनकी नं. 1:- आया वादीगण या उनके पिता द्वारा वादग्रस्त भूमि का बेचान नहीं किया है तथा कथित बैनामा फर्जी एवं बनावटी है।

जिम्मे वादीगण

तनकी नं. 2:- आया वादीगण वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित खातेदार आसामी व काबिज काश्त है।

जिम्मे वादीगण

तनकी नं० 3:- आया वादीगण प्रतिवादी के विरुद्ध वांछित स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ती के हकदार है।

जिम्मे वादीगण

तनकी नं० 4:- आया प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त भूमियों को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दि० 8.7.1993 से खरीद कर कब्जा किया है।

जिम्मे प्रतिवादी

तनकी नं० 5:- आया वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा नहीं है। अतः दावा काबिल खारिज है।

जिम्मे प्रतिवादी

तनकी नं० 6:- आया रजिस्टर्ड बयनामा तथा विभिन्न न्यायालयों में चल रहे प्रकरणों का वाद पर क्या असर है।

विधिक

तनकी नं० 7:- अनुतोष,

बाद कायमी तनकियात पक्षकारान् को अपने अपने साक्ष्य शहादत आदि प्रस्तुत करने के पर्याप्त एवं युक्ति-युक्त अवसर दिये जाने साक्ष्य वादीगण द्वारा शपथ-पत्र वादी नं० 1 एवं नकल जमाबंदी उ-प्रबन्ध 2004-2024 ग्राम कुदायला खाता नं० 90, नकल नामान्तकरण ग्राम कुदायला नं० 267 दि. 13.6.2011, नकल निर्णय

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मा० न्या० अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा, मि.नं. 103/2014/अपील/एल.आर.एक्ट/कोटा बडनवानी बजरंगलाल बनाम रामगोपाल निर्णय दि. 30.4.15. शपथ पत्र पर जिरह नहीं करने के कारण जिरह बंद की गई। साक्ष्य प्रतिवादी भी बन्द की गई। दि. 23.7.19 को प्रतिवादी के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। बहस विद्वान अधिवक्ता वादी सुनी। वादी के वादपत्र के कथन, वांछित अनुतोष, जवाब एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यादि पर सम्यक विचार किया। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है। तनकी नं० 6 विधिक है अतः सर्व प्रथम विवेचन तनकी नं० 6:- इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। अतः यह तनकी विधिक है। प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्यादि ~~से~~ यह तथ्य प्रमाणित होते हैं कि वादीगण के पिता नन्दा उ० पाथा मीणा द्वारा दि० 8.7.1993 को प्रति० को वादग्रस्त भूमि का बेचान किया गया था। उक्त रजिस्टर्ड बयनामे के आधार पर नामान्तरकरण नम्बर 26) दि० 13.6.11 स्वीकार किया गया था। प्रकरण में अंकित बयनामा जो उभय पक्षकार रजिस्टर्ड बयनामा स्वीकार करते हैं नामान्तरकरण नम्बर 26) ग्राम कुडायला एवं अपील सं. 103/14 बजरंगलाल बनाम रामगोपाल जो वादीगण द्वारा बतौर प्रमाण प्रस्तुत की गई है, उसमें भी प्रतिवादी नं. 1 के पक्ष में निष्पादित बयनामा पंजीकृत है। हालांकि वादीगण बार-बार इस	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	बिन्दु पर कथन करते हैं कि प्रतिवादी के पक्ष में निष्पादित बयनामा फर्जी व बनावटी थी मगर वादीगण ने न तो बयनामा प्रस्तुत किया और न ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत किया जिसके आधार पर यह प्रमाणित होता हो, कि उक्त पंजीकृत दस्तावेज फर्जी है या उसको किसी सक्षम न्यायालय द्वारा प्रभावशून्य घोषित कर दिया हो। वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि के हक में दायर नामान्तरकरण की अपील कर निर्णय की प्रति प्रस्तुत की थी। प्रति० का कथन है, कि उसके द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल में निर्णय दि. 30.4.15 की अपील कर रखी थी। नामान्तरकरण ऐसी प्रक्रिया नहीं है, जिसके आधार पर स्वत्व का विनिश्चय होता हो। यह मात्र एक फिस्कल प्रोसेस है। नामान्तरकरण की अपील में स्वत्व की घोषणा या रजिस्टर्ड बयनामें के संबंध में विनिश्चय संभव नहीं है। धारा 63 R.T. Act. 1955 के अनुसार वादग्रस्त भूमि से पूर्व खातेदार नन्दा के खातेदारी स्वत्व ही अब समाप्त हो गये थे, अर्थात नन्दा ने जिस दिन भूमि का बेचान कर बयनामा पंजीबद्ध करवाया था उसी दिन नन्दा के वादग्रस्त भूमि पर से खातेदारी स्वत्व का अवसान हो गया था। अब वादग्रस्त भूमि पर नन्दा के वारिसान को खातेदार की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता।	

रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अतः यह तनकीह इसी प्रकार तय की जाती है।	

तनकीह नं० 1:- इस तनकीह का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा पूर्व में वर्णित शपथ-पत्र एवं दस्तावेज पेश किये है।

वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिसके आधार पर यह प्रमाणित होता हो, कि प्रकरण वर्णित - रजिस्टर्ड दस्तावेज बयनामा फर्जी है? या बनावटी है। वादीगण द्वारा उक्त रजिस्टर्ड - बयनामे को किसी सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौति देकर निरस्त करवा लिया हो ऐसा तथ्य प्रस्तुत नहीं किया। न ही ऐसा कोई तथ्य ही प्रस्तुत किया जिसके आधार पर यह तय किया जा सके, कि वादीगण द्वारा वादवर्णित बयनामे के अस्तित्व को चुनौति दी जा रही हो।

साक्ष्याभाव में यह तनकीह खिलाफ वादीगण तय की जाती है।

तनकीह नं० 2:- इस तनकीह को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा नकल जमाबंदी 2004-24 खाता नं. 90 व नामा० की नकल पेश की है। उक्त दस्तावेज में वादीगण साबिक ख०नं० 18 व 20 हाल 20 व 22 के खातेदार दर्ज है। परन्तु वादीगण के पिता द्वारा उक्त कृषि ख० नं० 18-20 - रकबा 3)3 का बेचान 8.7.93 को ही कर दिये जाने से उक्त कृषि

अधिकारी
मण्डी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहका हुक्म व में ज

पर वादीगण का नाम, मात्र रिखावरी है। साथ ही वादीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जो उन्हें खसरा नम्बर 20 व 22 पर काबिज प्रमाणित करते हों।

अतः यह तनकी खिलाफ वादीगण तय की जाती है।

तनकी नं. 3:- इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। तनकी नं. 6, 1 व 2 के विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर यह पाया जाता है, कि वादीगण वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित खातेदार आसामी नहीं हैं। अपितु वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के पिता के ही स्वत्व तिरोहित हो गये थे, तो वादीगण के नाम रिखावरी ही है। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण की हैसियत धारा 5(43) व धारा 14 में वर्णित अधिवासी की नहीं है।

धारा 188 का अनुतोष अभिलिखित खातेदार आसामी को ही दिया जा सकता है।

अतः यह तनकी खिलाफ वादीगण तय की जाती है।

तनकी नं० 4:- इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। अपने कथनों के समर्थन में प्रतिवादी द्वारा कोई साक्ष्य पेश प्रस्तुत नहीं की। परन्तु तनकी नम्बर 1 व 6 के विश्लेषण व विवेचन के आधार पर यह तनकी इसी प्रकार तय की जाती है।

तनकी नं० 5:- इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी का था। प्रतिवादी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

उपखण्ड अधिका
रामगंजमण्डी

रीख क्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

परन्तु पूर्व तनकियात के निर्णयाधीन यह तनकी इसी प्रकार तय की जाती है।

तनकी नं० 7:- तनकी नम्बर 1 से 6 के विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर यह प्रतीत होता है, कि वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर स्वत्व तय नहीं है नामान्तरकरण के क्रम में भी अंतिम स्थिति की कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की है वादग्रस्त भूमि पर वादीगण को अभिलिखित खातेदार की भांति स्वीकार नहीं किया जा सकता।

खातेदारी स्वत्व के अभाव में धारा 188 का अनुतोष प्रदान नहीं किये जा सकते।

अतः गुणावगुण के आधार पर वाद वादीगण खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री मुरत्तिब हो।

पत्रावली की निर्णित में गणना की जाकर प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 14.9.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया।

(देशल दान)
I.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

Judl/Civil
Part V-10

फाइनल डिकरी व मुकद्दमे ~~[illegible]~~

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'–1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रामगंज मण्डी

व इजलास देशल दान (I.A.S.)

बजरंगलाल बनाम रामगोपाल

दावा बाबत 188 R.T. Act 1955

मुकद्दमा नं. 129 सन् 2015

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू देशल दान (I.A.S.)

बहाजरी श्री जितेन्द्र भाटी एड. मिनजानिब मुद्दई व ×

मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

वाद वादीगण खारिज किया जाता है

चीज × मुबालिग × बाबत ×

खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व शरह × फीसदी सालाना आज की तारीख

से तारीख वसूलयाबी तक × को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14 माह 09 2020 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
ओहदा रामगंजमण्डी

मुद्दई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील		
खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफर्रिक		
मीजान....	—	—

मुद्दायलाह	रुपया	पै.
स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प अर्जी		
महनताना वकील पर		
खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफर्रिक		
मीजान ...	—	—

नोट:—इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये। वाद व्यय पक्षकार अपना-अपना वहन करें

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी